न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर, जिला हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी:– चंचल वर्मा आर.ए.एस.

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1959

प्रकरण संख्या – 04/2019

1. प्रहलाद पुत्र नेतराम जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

बनाम

–निगरानीकर्ता

1. गुरदयाल पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. सरपंच ग्राम पंचायत मलखेड़ा, तहसील भादरा ।

–अप्रार्थीगण

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर

उपस्थित :– श्री रविन्द्र गोदरा अधिवक्ता प्रार्थी।

श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1

निर्णय दिनांकः– 12/09/2023

निगरानीकर्ता प्रहलाद पुत्र नेतराम जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ विरूद्ध आदेश प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति दिनांक 24.07.2018 को निरस्त करवाने बाबत निगरानी प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

1. निगरानीकर्ता ने एक अपील प्रहलाद बनाम गुरदयाल आदि मिसल संख्या 37 दिनांक 24.01.2013 इस आश्य की प्रस्तुत की थी कि ग्राम पंचायत मलखेड़ा में आबादी भूमि के अन्दर प्रार्थी पूर्वजों के वक्त से ही काबिज चला आ रहा है जिस पर कच्ची दीवार बना कर नोहरा बना रखा है तथा नोहरा में पशुओं का बांधता है, लकड़ी, थेपड़ी डालता है। मेरे इस कब्जा शुदा भूखण्ड पर गुरदयाल जबरिया 9 x 60 फिट पर कब्जा करना चाहता है। अपील दर्ज होने पर जरिये नोटिस गुरदयाल को सूचित किया जाकर सुनवाई की जाकर कमेटी के द्वारा मौका निरिक्षण किया जाकर दिनांक 19.12.2013 को अपील स्वीकार की जाकर गुरदयाल के पट्टे को खारीज किया जाकर विवादित भूखण्ड से बेदखली का आदेश पारित किया गया, जिसकी निगरानी श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर साहब गुरदयाल बनाम प्रहलाद पेश की गई जो दिनांक 21.11.2014 को दोनो पक्षों की मौजूदगी व अन्य पक्षकारों की सुनवाई की जाकर पुनः निर्णय पारित करने का आदेश पारित किया गया। लेकिन प्रशासन एवं स्थापना समिति द्वारा बिना किसी सुनवाई का अवसर दिये तथा बिना समस्त आवश्यक पक्षकार बनाये तथा बिना मौका

12.9.2023

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

देखे विधि विरूद्ध तरीके से दिनांक 24.07.2018 को गुरदयाल का कब्जा यथावत रखने का आदेश पारित किया गया है जो निम्न आधारों पर अपास्त योग्य है–

(क) यह कि उक्त निर्णय मनमाना स्वैच्छाचारिता पूर्ण है तथा यह न्यायिक निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है।

(ख) यह कि उक्त निर्णय करने से पूर्व किसी भी पक्षकार को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा ना ही मौका देखा गया। राजनैतिक रंजिशवश गुरदयाल का कब्जा यथावत रखने का आदेश पारित किया गया है, जबकि गुरदयाल का यह कोई कब्जा नहीं है। विवादित भूखण्ड 50–60 वर्षो से प्रार्थी के कब्जा में है तथा मकान निर्माण कर रखे है इसलिए ऐसा निर्णय विधि विरूद्ध व निरस्त योग्य है।

(ग) यह कि अप्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य पेश नहीं किया, जिससे वह अपना पक्ष साबित कर सके। ना ही किसी के साक्ष्य लिये गये, ना ही आदेश के अनुसार समस्त आवश्यक पक्षकार बनाये, ना ही मौका देखना उचित समझा। बिना किसी आधार के उक्त निर्णय बिना किसी सूचना, पारित किया है, जो अपास्त किया जावे।

(घ) यह कि स्थापना समिति के द्वारा पूर्व में किये गये मौका निरिक्षण व अतिरिक्त जिला कलक्टर के आदेश की अवहेलना करते हुए यह निर्णय पारित किया गया है, जो प्रार्थी के हितो के विपरीत है।

(ड़) यह कि उक्त निर्णय दिनांक 24.07.2018 को पारित किया गया है जिसका प्रार्थी को इल्म नहीं था। ऐसी सूचना या नोटिस दिया गया था । अप्रार्थी के द्वारा दिनांक 30.01.2019 को प्रार्थी को भूखण्ड से बेदखली का भय दिखाकर धमकी दी गई तथा अपने पक्ष में निर्णय पारित होना बताया, तब जाकर पंचायत समिति में पता किया तो दिनांक 31.01.2019 को इस निर्णय का पता चला। बिना किसी देरी के नकल लेकर निगरानी पेश की, जो कि सूचना के दिन से अन्दर मियाद है।

अतः निगरानी पेश करके निवेदन है कि अपील संख्या 37/13 दिनांक 24.07.2018 निरस्त किया जावे।

निगरानी पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से श्री मदन मोहन जोशी एडवोकेट उपस्थित हुये। अप्रार्थी संख्या–2 को रजिस्ट्रर्ड डाक नोटिस द्वारा तलब किया गया। लेकिन अप्रार्थी संख्या–02 उपस्थित नहीं। अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी श्री रविन्द्र गोदारा ने अपनी बहस में कथन किया कि दिनांक 27.04.2018 को पंचायत समिति भादरा के निर्णय के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। न्यायालय हाजा में पूर्व दिनांक 19.12.2013 को निगरानी स्वीकार हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों की उपस्थिति में पुनः निर्णय पारित करनें

12.9.2022
अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

हेतू निर्देश दिये गये थे। माननीय न्यायालय हाजा के निर्देशों के ध्यान में न रखते हुए गुरदयाल का नाजायज कब्जा दिखाते हुये कब्जा यथावत के आदेश जारी कर दिये गये। हमारी जो भूमि 9 X 65 की 50–60 वर्षो से काबिज है। उस बाबत न कोई नोटिस जारी हुआ न ही हमारी सुनवाई हुई। अधीनस्थ न्यायालय ने कोई नोटिस नहीं दिया। कोई मौका भी नहीं दिया गया। उस स्थान पर आए तो जानकारी हुई। पूर्व की रिपोर्ट पर ही पुनः निर्णय कर दिया गया। विधिवत निर्णय पारित किया जाना उचित है। अपील खारिज की जाकर हमारी प्रार्थना स्वीकार की जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1 श्री मदन मोहन जोशी ने अपनी बहस में कथन किया कि निर्णय पंचायत समिति भादरा से हुआ। हमनें अपील न्यायालय हाजा में की। न्यायालय हाज द्वारा दिनांक 01.05.2014 को अपील को रिमांड कर दिया गया। गुरदयाल को सुनवाई का अवसर देनें के आदेश थे। दिनांक 15.08.2015 अधीनस्थ न्यायालय में पेश हुई एंव दिनांक दिनांक 05.11.2015 को मौका निरीक्षण किया गया। 65 X 74 पर गुरदयाल का मकान व कब्जा बताया गया एंव 9 X 65 का स्थान इसमें शामिल है। अधीनस्थ न्यायालय में धारा 96 का प्रार्थना–पत्र पेश निगरानी कर्ता ने नहीं किया। जिस भूमि की अपील की उस जगह को कोई पट्टा इनके नाम से जारी नहीं है। यह पीड़ित पक्ष नहीं है। वर्ष 1959 का पट्टा जोतराम के नाम से पेश किया। उक्त भूखण्ड काशी ने खरीद किया। काशी के पुत्रों से इन्द्राज पुत्र श्री चंद ने तबादला करके ले लिया। तब से अप्रार्थी काबिज है। इसकी 04 रिपोर्ट है। दिनांक 19.05.2013 की रिपोर्ट में गुरदयाल का कब्जा लिखा हुआ है। ग्राम विकास अधिकारी की रिपोर्ट में 65 X 74 पर अप्रार्थी का कब्जा है। स्थापना समिति की रिपोर्ट दिनांक 24.01.2018 में भी गुरदयाल का कब्जा बताया गया है। दिनांक 15.09.2022 को सिविल न्यायालय में रिपोर्ट में भी गुरदयाल का कब्जा दिखाया गया है। गुरदयाल बनाम प्रहलाद अभी भी सिविल न्यायालय में जैरकार है और यथास्थिति कायम है। अपील में भी खुद ने मेरा कब्जा स्वीकार किया है। दिनांक 25.12.59 के पट्टे को खारिज करवानें की कोई अपील पेश नहीं की है। मैनें 06 फोटो पेश किये है जिसमें 65 X 74 फुट के भूखण्ड की चारदीवारी हुई है। दिनांक 24.07.2018 के निर्णय के विरूद्ध वर्ष 2019 में निगरानी पेश की है तथ्य संतोषजनक नहीं है।" मेरी जगह पर कब्जा करनें की धमकी दी" तब जानकारी हुई ऐसा कथन है। मेरा कब्जा निगरानी से पहले का है। अपील में भी ऐसा ही निर्णय है। आज तक कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किया है जो इनके नाम से जारी हों। स्वंय के नाम का कोई पट्टा भी पेश नहीं किया है। यह जगह 9 X 60 की कोई स्वामी की थी और उससे खरीदी हो, ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है। पट्टा जोतराम का था तो इसके वारिसों को भी नोटिस नहीं दिया। अतः निगरानी खारिज की जावे। इस हेतू निम्न दृष्टांत पेश किये–

12/9/23

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

प्रकरण संख्या 04/2019 अनवान प्रहलाद बनाम गुरदयाल

(1) 2019 RBJ PAGE NO. 21 (2) RBJ 2016 Page No. 512

अधीवक्ता निगरानी कर्ता ने पुनः अपनी बहस में कथन किया कि मेरा कब्जा चला आ रहा है। इनका पट्टा निरस्त किया जा चुका है। इन्होनें भी पट्टे बाबत कोई प्रमाणिक दस्तावेज पेश नहीं किया है। इस पट्टा धारी से इनका कोई संबध नहीं है। हमें भी मौका नहीं दिया गया। विधिवत रूप से मौका देखा जावे। सिविल कोर्ट की कहीं अवहेलना नहीं होती है। अतः विधिवत रूप से निर्णय हो।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने पुनः कथन किया कि मूल अपील में मेरा कब्जा माना है।

हमनें अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी एंव पत्रावली को अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। साथ ही इस न्यायालय के पूर्व निर्देशों का भी अवलोकन किया। देखने पत्रावली ज्ञात होता है कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व आदेश में दोनों पक्षों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर तत्पश्चात निर्णय करने के निर्देश दिए गए थे। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल ग्राम विकास अधिकारी की रिपोर्ट का ही अवलोकन किया जबकि इसी पत्रावली मे सिविल न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट में किसी व्यक्ति विशेष का कब्जा नहीं बताया गया है। धारा 97, राज पंचायती राज अधिनियम 1996 किसी भी प्रकार से किसी के कब्जे का नियमन करने हेतु नहीं है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न केवल पक्षकारों की अनुपस्थिति में रिपोर्ट तैयार करवायी गई वरन् अपने निर्णय में पक्षकार विशेष के कब्जे को भी पुख्ता किया है, जो कि इस धारा के क्षेत्र से बाहर का निर्णय है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय काबिले खारिज हैं। इस आधार पर प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 12.09.2023 को सरेइजलास सुनाया गया।

12.9.2023

(चंचल वर्मा आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)